



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं0 पटना 957) पटना, वृहस्पतिवार, 17 दिसम्बर 2020

okf.kT;-dj foHkkx

vf/k l puk
17 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 197, दिनांक 17 दिसम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 के 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 111, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 268, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के प्रावधानों का 1 दिसंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के बीच की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत देय दंड की राशि को माफ करते हैं, यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2343)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 दिसम्बर 2020

एस० ओ० 197, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2343)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th December 2020

S.O. 197, Dated 17th December 2020— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of Commercial Taxes Department notification No. S.O. 111, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 268, dated the 06th May, 2020, between the period from the 01st day of December, 2020 to the 31st day of March, 2021, subject to the condition that the said person complies with the provisions of the said notification from the 01st day of April, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 2343)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 957-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>